वर्ष 2025-26 की रद्दी, गत्ता, कचरा एवं अन्य स्क्रैप सामग्री की बिक्री

के लिए

निविदा सूचना

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा

प्लॉट नंबर 4 और 5, सेक्टर-33बी, चंडीगढ़-160020

https://cag.gov.in/ae/haryana/hi

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा का कार्यालय

प्लॉट नंबर 4 और 5, सेक्टर-33बी, चंडीगढ़-160020

निविदा आमंत्रण सूचना

सा. प्रशा.-II/रद्दी की बिक्री/2024-25/337 दिनांक :06.03.2025

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ़ के कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए **रद्दी, गत्ता, कचरा, अखबार, और अन्य स्क्रैप सामग्री** की बिक्री के लिए सीलबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। कोटेशन निम्नलिखित प्रारूप में दिए जाने चाहिए:

क्रम संख्या	**वस्तु का नाम**	**दर/किलो**
1.	रद्दी	
2.	गत्ता, कचरा	
3.	अखबार	
4.	अन्य स्क्रैप सामग्री	

सीलबंद कोटेशन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, प्लॉट नंबर 4 और 5, सेक्टर-33बी, चंडीगढ़ को निम्नलिखित तिथि या इससे पहले प्रस्तुत किए जाने हैं :17.03.2025 (03:00 अपराह्न)।

टेंडर प्रकाशन की तिथि : 06.03.2025

प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि : 17.03.2025 (03:00 अपराह्न)

प्रस्ताव खोलने की तिथि : 18.03.2025 (11:30 पूर्वाह्न)

निविदा खोलने का स्थान : कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, प्लॉट नंबर 4 और 5, सेक्टर-33बी, चंडीगढ़

नियम और शर्तें नीचे दी गई है: -

1. बोलीदाताओं की 01.01.2025 से त्रि-शहर (चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला) में पंजीकृत कार्यालय/शाखा होना चाहिए। इसका दस्तावेज़ी प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा ।

2. रु. 15,000/- की राशि बोली सुरक्षा (ईएमडी) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में " प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा " के पक्ष में जमा करनी होगी, जोकि असफल बोलीदाताओं को बोली से अयोग्य घोषित होने के 30 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता की बोली सुरक्षा राशि को अनुबंध अवधि के दौरान कार्य निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में इस कार्यालय में रखा जाएगा। नोट: डिमांड ड्राफ्ट 31.05.2026 तक वैध होना चाहिए।
3. सफल बोलीदाता को अनुबंध अवधि के दौरान कागजी कचरा और अन्य स्क्रैप सामग्री को सूचना मिलने पर या द्वि-मासिक आधार पर उठाना होगा। सामग्री को इस कार्यालय को देय भुगतान का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के बाद ही उठाया जाएगा।
4. अधोहस्ताक्षरी किसी भी टेंडर/कोटेशन को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार या स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं ।
5. ठोस कागजी कचरे को इस कार्यालय से सूचना मिलने के तीन दिनों के भीतर कार्यालय परिसर से उठाना होगा, अन्यथा उपर्युक्त सामग्री को ठेकेदार के जोखिम और लागत पर बेच दिया जाएगा।
6. निविदा दिनांक 18.03.2025 को प्रात: 11:30 बजे खोली जाएगी ।
7. अनुबंध पहले एक वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा। कार्य के संतोषजनक और सफलतापूर्वक पूरा होने पर और सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर कार्य अनुबंध का आगे विस्तार/नवीनीकरण किया जा सकता है।
8. यदि ठेकेदार अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी कारण से कार्य को अधूरा छोड़ देता है या टेंडर विनिर्देश के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो निष्पादन सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी।
9. उपर्युक्त नियम और शर्तें बोलीदाताओं द्वारा स्वीकृति के प्रतीक के रूप में हस्ताक्षरित प्रस्ताव के साथ होनी चाहिए।
10. यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा के निर्णय को स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे।
11. अनुबंध केवल चंडीगढ़ की अदालत के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

-हस्ता-
वरिष्ठ उप महालेखाकार(प्रशासन)